बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि १४ जून, १९७२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १४ जून, १९७२ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

सदन में व्यवस्था के संबंध में चर्चा

श्री विनायक प्रसाद यादव—मेरा प्वायन्ट औफ और्डर यह है अध्यक्ष महोदय कि बिहार विधान सभा की भाषा हिन्दी है और इसको बराबर बिहार सरकार ने एलान किया है। भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सुधांशु जी ने जद्दोजेहद करके हिन्दी करवाया था, लेकिन आज यह कागज मेडिकल विभाग से अंग्रेजी में बाँटा गया है। हम विरोध स्वरूप इस कागज को फाड़कर फेंकते हैं।

(कागज फाड़कर फेंके गये)

श्री रामलखन सिंह यादव—एक व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, उनको तो मिला भी है, लेकिन हमको तो मिला ही नहीं है।

श्री सुनील मुखर्जी—हमको भी उपलब्ध करा दें।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—उस कौपी का हम स्वागत करते हैं।

अध्यक्ष—मुझे भी उसकी प्रति चाहिये।

श्री रामलखन सिंह यादव—जो पेपर अंग्रेजी में तैयार किया जा सकता है वह हिन्दी में क्यों नहीं हो सकता है?

श्री शकूर अहमद—यह कोयश्चन आवर है। कोयश्चन आवर के बाद इस पर डिसकशन करेंगे।

श्री सुनील मुखर्जी—बिल्कुल सही है कोयश्चन आवर का समय नहीं लें।

श्री रमई राम—अध्यक्ष महोदय, जनसेवक लोग बेकार पड़े हुए हैं उनको रोजगार देने के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। जनसेवक लोग जब ट्रेनिंग लिये तो सरकार ने उनसे बांड लिखाया कि जो लोग इस बांड के मुताबिक जनसेवक के पद

डा० जगन्नाथ मिश्र—जो ऐग्रीमेन्ट उपभोक्ता के साथ होती है उसके अनुसार बिजली की आपूर्त्ति नहीं होने पर भी वे क्षतिपूर्त्ति का दावा नहीं कर सकते। जो परिस्थिति बोर्ड के बिओन्ड कन्ट्रोल है जिसके कारण बिजली आपूर्त्ति में बाधा होती है तो उसके बदले क्षतिपूर्त्ति का दवा नहीं हो सकता है चूंकि वे क्षतिपूर्त्ति के हकदार नहीं हैं।

श्री भोला प्रसाद सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि भारतीय लोक सेवा के द्वारा जो विधेयक, ऐक्ट पास हुआ है, क्या उसके अनुसार कोई राज्य सरकार अटोनोमस बडी से एग्रीमेन्ट करा सकती है ?

अध्यक्ष—दरअसल कहां विरोध है ?

श्री भोला प्रसाद सिंह—बिहार एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड और इन्डियन एलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट के विपरीत एग्रीमेन्ट करा सकते है या नहीं ?

श्री शकूर अहमद—यह तो आपका प्रश्न है इसे आप लिख कर दीजिये।

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य

ढाढ़ी जाति के लोगों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार

श्री राधानन्दन झा—प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पटना, गया तथा मुंगेर की सरहदों पर ढाढ़ी जाति के लोग काफी संख्या में हैं। इस जाति के लोगों के पास अधिकांशतः जमीन नहीं है और न किसी प्रकार का रोजगार है। इस पृष्ठभूमि में ऐसे लोगों का नाम बहुतायत में अपराधों से सम्बन्धित रहा है। जिनसे स्थानीय लोग आंतकित रहते रहे हैं। हाल में राज्य स्तर पर अभियुक्तों और अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में मुंगेर, पटना और गया जिले के आरक्षी अधीक्षकों, आरक्षी उपाधीक्षकों तथा सम्बन्धित मुकदमों के अनुसंधानकर्त्ताओं की एक अपराध गोष्ठी दिनांक १८-४-७२ को शेखपुरा में तथा २०-५-७२ को जमुई में हुई जिनमें अपराधकर्मियों, ढाढ़ी जाति के अपराधकर्मियों सहित की गिरफ्तारी तथा उनकी गतिविधि को रोकने का निर्णय प्रत्येक सम्बन्धित मुकदमा और उस मुकदमों में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद किया गया। इस गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि २८-५-७२ को तीनों जिले के आरक्षी पदाधिकारियों द्वारा एक साथ इन अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने का कार्यक्रम बनाया जाय। इसी बीच मालूम हुआ कि २७, २८

और २९ मई, १९७२ को ढाढ़ी जाति के लोगों की एक महासभा बढ़इया में होने जा रही है। इसके कारण २८-५-७२ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। पुनः ३१-५-७२ को निम्नलिखित अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया जो उनके नाम के सामने अंकित मुकदमे में वानटेड थे।

मुनी राम, गांव बढइया,.....मोकामा थाना मुकदमा सं० ९(२) ७२ दफा ३९५ आई० पी० सी०

यमुना राम, अरिअरी थाना.....थाना मुकदमा संख्या ३(१) ७२ दफा ३९५ आई० पी० सी०

बालेश्वर ढाढ़ी.....शेखपुरा थाना मुकदमा सं० ८(३) ७२ दफा ४५१ आई० पी० सी०

बालेश्वर ढाढ़ी—शेखपुरा थाना मुकदमा सं० ८(३)७२ दफा ४५७ आई० पी० सी०

अशर्फी ढाढ़ी—बरियरी थाना मुकदमा संख्या २(३) ७२ दफा ३९५ आई० पी० सी०

दूसरा मुकदमा—बरियरी मुकदमा संख्या २(९)७१ दफा ३९५ आई० पी० सी०

मिश्री ढाढ़ी—लखीसराय के निवासी हैं। अरियरी मुकदमा सं० ६(१०)७२ दफा ३९५

बृहस्पति ढाढ़ी—अरियरी थाना मुकदमा सं०६(१) ७२ दफा ३९५ आई०पी०सी०

सीताराम ढाढ़ी— ,, ,, ,, ,,

दशरथ ढाढ़ी— ,, ,, ,, ,,

महाराजी सिंह—शेखपुरा मुकदमा सं० ३(९)७१ दफा ३०२ आई० पी० सी०

दुखी ढाढ़ी—अरियरी थाना मुकदमा सं० ६(१)७२ दफा ३९५ आई० पी० सी०

भगवान राम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह भी सही नहीं है कि पुलिस के लोगों ने ढाढ़ी औरतों को भद्दी-भद्दी गालियां दी है। यह भी सही नहीं है कि ढाढ़ी महासभा की प्रतिक्रिया में पुलिस ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फौजदारी मुकदमों में अभियुक्त थे और बहुत दिनों से वानटेड थे। इनकी गिरफ्तारी आरक्षी अधीक्षक तथा आरक्षी उपाधीक्षक के नेतृत्व में की गयी तथा किसी ने ढाढ़ी औरतों के प्रति अभद्र व्यवहार की शिकायत नहीं की है। वहां के स्थानीय लोग या ढाढ़ी लोग पुलिस से आतंकित नहीं हैं और नहीं ढाढ़ी जाति के मर्द लोग छोड़कर भागे हुए हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पूछने के पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सरकार की ओर से इतना असत्य जवाब और इस तरह से झूठ बात सदन में लाने की कोशिश की जाय और इसका कोई इलाज इस सदन में नहीं होगा तो सवाल कैसे पूछा जायगा ?

अध्यक्ष— आपको जो पूरक पूछना है, पूछें ?

श्री कपिलदेव सिंह—यह जो गलत उत्तर दिया गया है उसमें मैं क्या पूरक पूछूं। मैं जानता हूँ जो आदमी मार खाया था वह मेरे पास आया था। जिन औरतों को भद्दी-भद्दी गालियाँ दी गई थी वह भी मेरे पास आई थी।

अध्यक्ष—आप चैलेन्ज कर सकते हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—चैलेन्ज करने से क्या होगा ?

श्री राधानन्दन झा—इसे एस० पी० मुंगेर ने लिखा है।

श्री कपिलदेव सिंह—वह झूठ लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सदन के पाँच हरिजन सदस्यों को एक कमिटी बनायेगी जो इस केस की जाँच करे ?

श्री राधानन्दन झा—मैं शृंखलाबद्ध तरीके से जवाब दे ही रहा हूँ तो फिर कमिटी बनाने का प्रश्न कहाँ से उठता है। ये लोग आज से ही नहीं, बल्कि बहुत पहले से दफा ३९५ और ३०२ में वानटेड थे।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार का जवाब हुआ कि भगवान राम को न गिरफ्तारी हुई है और न मारा गया है और न ढाढ़ी औरतों को गालियाँ ही दी गयी हैं; लेकिन यह बात बिल्कुल झूट है इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार इस सदन के पाँच हरिजन सदस्यों की एक कमिटी बनाकर जाँच करावे ?

श्री राधानन्दन झा—कमिटी बनाने का सवाल नहीं उठता है। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा दूसरे-दूसरे केस में, क्योंकि वे बहुत से केसेज में वानटेड थे।

अध्यक्ष—जब माननीय सदस्य व्यक्तिगत जानकारी एवं अनुभव के आधार पर सरकार के जवाब को चुनौती दे रहे हैं, तो चुनौती को ध्यान में रखकर, आप इस सम्बन्ध में कोई उच्चस्तरीय जांच कराना चाहते हैं ?

श्री राधानन्दन झा—जी हाँ, डी० आई० जी० से जाँच करा दूंगा।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। इसलिये मैं व्यक्तिगत जानकारी पर कहता हूँ कि भगवान राम पर काफी मार पड़ी है। मैंने उससे मुकदमा करने को कहा तो उसने कहा कि मुकदमा करेंगे तो थाना मुझे उजाड़ देगा। मैंने उसे दस रुपया दिया और उसने अस्पताल में जाकर सूई ली। वह और तीस, चालीस ढाढ़ी औरतें मेरे यहाँ आयी थीं जिन्हें गालियाँ दी गयी थी।

श्री राधानन्दन झा—अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि यदि माननीय सदस्य चुनौती देते हैं तो इसकी जाँच उच्चस्तरीय होनी चाहिये तो मैं इसकी जाँच डी० आई० जी० से करा दूँगा। लेकिन यह एस० पी० की रिपोर्ट थी। माननीय सदस्य के सामने जाँच करवा देंगे।

श्री कपिलदेव सिंह—यदि सरकार चाहती है जाँच कराना तो आई० जी० से जाँच करावे।*

अध्यक्ष—शांति! इसके सम्बन्ध में आई० जी० पुलिस स्वयं जाकर जांच करेंगे। जांच के समय श्री कपिलदेव सिंह भी उपस्थित रहेंगे। उनके प्रतिवेदन के बाद फिर देखा जायगा।

श्री भोला प्रसाद सिंह—किसी जाति और वर्ग विशेष को अपराधी घोषित करना गलत है।

श्री शंकर प्रताप देव—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है वह यह कि कोई माननीय सदस्य बोलता चला जाय उसको भी कार्यवाही से हटा दिया जाय।

(सदन में हल्ला)

अध्यक्ष—मंत्री अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री पूरन चंद—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है वह यह कि मंत्री परिषद् का निर्णय देखने को मिला। आप मैथिली भाषा को पब्लिक सरभिस कमीशन में मान्यता दी है और उर्दू जिसका इतना बड़ा क्षेत्र है उसकी मान्यता नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य बैठ जायें। माननीय मंत्री अपना वक्तव्य दें।

---

*अध्यक्ष के आदेशानुसार आलोपित किया गया।